संख्या–1324 / सेक–पांच–5–2020,

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

चिकित्सा अनुभाग–5 दिनांक : 23 जून, 2020

विषयः–कोविड–19 के अन्तर्गत कन्टेनमेन्ट जोन में सर्विलांस गतिविधियों के संचालनके दिशा–निर्देशों के प्रेषण के सम्बन्ध मे।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कोविड–19 के अंतर्गत कन्टेनमेंट जोन में सर्विलांस गतिविधियों के संचालन हेतु निम्नलिखित दिश–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें:–

1. जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला सर्विलेंस अधिकारी (डीएसओ) द्वारा प्रतिदिन धनात्मक कोविड–19 केसेस की जानकारी जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए जो जनपद में 2.कन्टेनमेन्ट की गतिर्वधियों केसंचालन के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

2. कन्टेनमेन्ट जोन, सवर्क्षेण हेतु आवासों की संख्या तथा टीमें का निर्धारण

2.1 कंटेनमेंट जोन का निर्धारण

2.1.1 **शहरी क्षेत्र**

2.1.1.A किसी क्षेत्र में सिंगल केस होने की स्थिति में प्रत्येक धनात्मक कोविड–19 केस के लिए उस केस को केंद्र मानते हुए 250 मीटर रेडियस के क्षेत्र / पूरे मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा ।एक ही घर में एक से अधिक केस होने पर भी सिंगल केस के समान कन्टेनमेन्ट जोन निर्धारित होगा।

2.1.1.Bकिसी क्षेत्र में एक से अधिक केस (क्लस्टर) के लिए 500 मीटर के रेडियस के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा जिसके उपरांत 250 मीटर रेडियस का क्षेत्र बफर जोन होगा।

–2–

2.1.2. **बहुमंजिले भवन**

2.1.2.A किसी बहुमंजिले भवन में एक तल पर कोविड धनात्मक केस संसूचित होने की स्थिति में जिस फ्लोर पर उस केस का आवास हो उस फ्लोर को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित करते हुए संवेदीकरण तथा संदिग्ध रोगियों के चिन्हीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

2.1.2.B किसी बहुमंजिला इमारत में एक से अधिक तलों पर कोविड धनात्मक केस संसूचित होने की स्थिति में संबंधित टावर को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित करते हुएउपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाएगी। ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रशासन मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अनुसार आवश्यक निर्णय ले सकता है ।

2.1.3 **ग्रामीण क्षेत्र**

2.1.3.A किसी ग्राम में सिंगल केस होने पर, राजस्व ग्राम के सम्बंधित मजरे की आबादी के निवास क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा।

2.1.3.B किसी ग्राम में एक से अधिक केस (क्लस्टर) होने पर, उक्त राजस्व ग्राम के सम्बंधित मजरे के निवास क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। इस गाँव के इर्द गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आयेंगे।

2.2 प्रदेश के वर्तमान औसत जनसंख्या घनत्व के अनुसार 250 मीटर रेडियस के क्षेत्र में लगभग 300 घर होंगे एवं 500 मीटर के रेडियस में लगभग 1200 घर आएंगे (यह आकलित संख्या नगरीय क्षेत्रो के लिए है तथा इसमें जनपद एवं क्षेत्रवार अंतर संभव है)।

2.3 नगरीय क्षेत्र में कोविड–19 का एक अकेला धनात्मक रोगी पाए जाने पर कंटेनमेंट जोन मे 300 घरों को 1 दिन में अच्छादित करने के लिए कम से कम उस क्षेत्र में न्यूनतम 3 टीमें लगाई जाएंगी। एक क्षेत्र में एक से अधिक कोविड–19 पॉजिटिव केस होने पर क्लस्टर मानते हुए, क्लस्टर के मध्य बिंदु को एपीसेंटर चिन्हित करते हुए 500 मीटर के रेडियस के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जायेगा तथा इस क्षेत्र में 1200 घरों को आच्छादित करने के लिए न्यूनतम 12 टीमें बनाई जाएंगी। प्रत्येक टीम प्रतिदिन लगभग 100 घरों का भ्रमण कर अपने कार्य को संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर अंकित करेगी। क्षेत्र में मकानों की संख्या अधिक होने पर इन टीमें की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकती है।

-3-

2.4 ग्रामीण क्षेत्र में कोविद धनात्मक केस पाए जाने पर मजरे की आबादी के अनुसार इस प्रकार टीमें लगाई जाएँ कि प्रत्येक टीम द्वारा 75–100 आवास आच्छादित किये जाने पर कन्टेनमेंट जोने के रूप में चिन्हित सम्पूर्ण क्षेत्र में गतिविधि एक दिन में समाप्त हो जाए।

2.5 प्रत्येक टीम में निम्न विभागों में से प्रत्येक से एक (कुल न्यूनतम 3) सदस्य होंगे – (1) स्वास्थ्य विभाग, (2) स्थानीय निकाय (शहरी क्षेत्र) अथवा ग्राम विकास/पंचायती राज (ग्रामीण क्षेत्र) (3) स्थानीय प्रशासन। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी टीमों में अतिरिक्त सदस्य भी रख सकते हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में टीमों की सुरक्षा की भी उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

2.6 कन्टेनमेन्ट जोन का निर्धारण तथा गतिविधि हेतु कार्ययोजना बनाते समय पल्स पोलियो माइक्रो प्लान को आधार बनाया जायेगा एवं कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पल्स पोलियो अभियान की ही भांति गतिविधि के प्रारम्भिक तथा अन्तिम बिन्दु का चिन्हीकरण करते हुये कार्य सम्पादित किया जायेगा।

2.7 प्रत्येक टीम के सदस्य अपने निर्धारित क्षेत्र में घर–घर जाकर जनसामान्य को कोविड–19 रोग से बचाव तथा लक्षणों के विषय में संवेदीकरण करेंगे। साथ ही खांसी, जुकाम, सांस लेने में परेशानी आदि लक्षण वाले रोगियों को चिन्हित कर, ऐसे रोगियों का नाम, पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर तथा लक्षणों का विवरण अपने प्रपत्र **(प्रपत्र–1)** पर अंकन करेंगे।

2.8 प्रत्येक 5 टीमों पर एक कर्मचारी को सुपरवाइजर चिन्हित किया जायेगा जो अपरान्ह में अपनी पांचों टीम के कार्य को समाप्त होने के उपरान्त, समस्त सूचनाओं का संकलन कर, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी (DIO) को उपलब्ध करायेगा जो जनपद की सूचना को संकलित कर डी0एस0ओ0/राज्य मुख्यालय के प्रतिनिधि को उपलब्ध करायेंगे।

2.9 कन्टेनमेन्ट जोन में चिन्हित लक्षण युक्त पाये गये सभी व्यक्तियों की जांच हेतु नमूने का संग्रहण कर सम्बन्धित प्रयोगशाला को प्रेषित किये जाने का उत्तरदायित्व जिला सर्विलांस अधिकारी का होगा।

3. पूर्व में यदि एक कोविड–19 धनात्मक केस संसूचित होने के कारण कोई भी कन्टेनमेन्ट जोन बनाया गया है और उसी क्षेत्र में पुनः एक अथवा अधिक कोविड–19 रोगी पुनः संसूचित होते हैं तो ऐसे क्षेत्र को कलस्टर मानते हुये वहां पर कुल 1200 आवासों का सर्वेक्षण टीमों के द्वारा किया जायेगा। (इन 1200 घरों में पूर्व में सर्वेक्षित 300 घर भी सम्मिलित होंगे।) इस हेतु क्षेत्र में पाये गये सभी केसेस की भौगोलिक स्थिति के मध्य बिन्दु को इपिसेन्टर के रुप में चिन्हित किया जायेगा तथा इपिसेन्टर से 500 मीटर के रेडियस में 900 पूर्व में अनाच्छादित आवास आच्छादित करने होंगे।

4. कन्टेनमेन्ट जोन में टीमों द्वारा चिन्हित किसी भी सम्भावित रोगी का चिन्हीकरण के उपरान्त 24 घण्टे की अवधि में सैम्पल एकत्र करना अनिवार्य होगा।

-4-

5. संलग्न **प्रपत्र–2** पर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जनपद के प्रत्येक सक्रिय धनात्मक रोगी के सापेक्ष उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार कन्टेनमेन्ट जोन को अंकित करते हुये जनपद के कुल विमुक्त एवं सक्रिय कन्टेनमेन्ट जोन को सूचीबद्ध कर इस सूची को प्रत्येक दिन अपरान्ह 06 बजे तक अद्यतन कर जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी उपलब्ध कराया जाये ताकि कनटेनमेन्ट जोन की संख्या में आंकड़े में समरुपता की स्थिति रहे।

6. अन्तिम धनात्मक रोगी के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से 14 दिन सम्बन्धित क्षेत्र कन्टेनमेन्ट जोन बना रहेगा। यदि अन्तिम धनात्मक रोगी के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से 14 दिनों उपरान्त तक कोई अन्य केस उस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है तो ऐसे क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट जोन की सूची से विमुक्त कर दिया जायेगा।

7. यह भी ध्यान रखा जाये कि प्रत्येक दिवस नवीन सूचित रोगी के सापेक्ष कन्टेनमेन्ट गतिविधियां उसी दिन पूर्ण कर ली जायें अन्यथा की स्थिति में आगामी दिवसों में नवीन रोगी को संसूचित होने पर कार्य लम्बन की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी, जिसके प्रतिदिन बढ़ते जाने की सम्भावना होगी। अतः कन्टेनमेन्ट गतिविधियों हेतु प्रत्येक जनपद में मानव संसाधन को प्रशिक्षित करते हुये निम्नवत् टीमों का गठन किया जायेः–

7.1 निम्न जनपदों में न्यूनतम 800 टीम गठित की जायेंः–

7.1.1 समस्त मण्डलीय जनपद।

7.1.2 जनपदगौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, रामपुर, जौनपुर, हापुड़ एवं बुलन्दशहर)

7.2 निम्न जनपदों में न्यूनतम 600 टीम गठित की जायेंः–

बागपत, बदायूं, हाथरस, मथुरा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, इटावा, औरैया, कुशीनगर, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली, महोबा तथा ललितपुर) वहाँ न्यूनतम 600 टीमें का गठन किया जाए ।

7.3 अन्य समस्त जनपदों में न्यूनतम 400 टीमें का गठन किया जाए ।

8. उपरोक्त टीमों के अतिरिक्त समस्त जनपदों में ग्राम निगरानी समीति के सदस्यों को प्रशिक्षित करते हुए प्रत्येक प्रशिक्षित आशा कार्यकत्री के सापेक्ष एक तीन सदस्यीय संवेदीकरण टीम गठित की जाये जिसमे स्थानीय आशा के साथ क्षेत्रीय आंगनवाड़ी कार्यकत्री को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाये तथा एक अन्य सदस्य (स्वेच्छागृही आदि) को रखा जाये। यह टीम अपने निर्धारित क्षेत्र में कोविड–2019 रोग के विषय में संवेदीकरण तथा लक्षणयुक्त व्यक्ति पाये जाने के सम्बन्ध में सूचना ब्लॉक मुख्यालय को प्रेषित करने का कार्य सम्पादित करेगी। यह कार्य वर्तमान में भी आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक आशा कार्यकत्री के साथ एक आंगनवाड़ी कार्यकत्री तथा निगरानी समीति के एक सदस्य को सम्मिलित कर यह टीम गठित की जाएगी। आशा कार्यकत्री के अतिरिक्त शेष दोनों सदस्यों का संवेदीकरण आशा सदस्यों की ही भांति किया

जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सुपरविजन का कार्य क्षेत्रीय ए0एन0एम0 द्वारा किया जायेगा जो अपरान्ह में अपनी पांचों टीम के कार्य को समाप्त होने के उपरान्त, समस्त सूचनाओं का संकलन कर, ब्लॉक मुख्यालय पर उपलब्ध करायेंगी, जहाँ से सूचना उसी दिन जनपद मुख्यालय के माध्यम से संकलित कर राज्य स्तर पर प्रेषित की जाएगी। .

9. कंटेनमेंट गतिविधियों हेतु पर्याप्त संख्या में टीमें लगाये जाने के पश्चात उपलब्ध अतिरिक्त टीमें का प्रयोग अन्य क्षेत्रों यथा माइग्रेंटस की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों, ILI के अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों, बफर जोन इत्यादि में संवेदीकरण तथा सर्विलांस गतिविधियों को सुदृढ़ करने में किया जाएगा।

10. इस प्रकार समस्त जनपदों में सर्विलांस टीमें का गठन करते हुए सुनिश्चित किया जाये कि कार्यरत टीमें संवेदीकरण तथा संदिग्ध रोगियों के चिन्हीकरण दोनों कार्य सम्पादित कर रही हैं।

11. चिकित्सालयों में स्थापित कोविड हेल्प डेस्क तथा फीवर काउन्टर्स पर तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर इन स्थानों पर ILI / SARI रोगियों के चिन्हीकरण का कार्य भी सुनिश्चित किया जाये तथा कन्टेनमेन्ट जोन से आने वाले ऐसे रोगियों को प्रतिदिन सूचीबद्ध करते हुये इनकी कोविड रोग हेतु जांच भी सुनिश्चित की जाए।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
23.06.20
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या–1324(1)/सेक–पांच–5/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
23.6.20
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव

COVID-2019

क्षेत्र में संवेदीकरण के दौरान पाए गए (लक्षण युक्त) व्यक्तियों का विवरण (प्रपत्र -1)

जनपद का नाम :

क्षेत्र का नाम :

टीम लीडर का नाम तथा मोबाइल नंबर :

पर्यवेक्षक का नाम तथा मोबाइल नंबर :

गतिविधि दिनांक :

क्रम संख्या	सिंप्टोमेटिक (लक्षण युक्त) व्यक्ति का नाम	पूरा पता	लैंडलाइन नंबर	मोबाइल नंबर	लक्षण				क्या लक्षण युक्त व्यक्ति ने विगत 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा / अन्य प्रदेश /जनपद की यात्रा की है (हां अथवा नहीं)	यदि यात्रा की है तो भ्रमण किए गए देश / प्रदेश/जनपद का नाम	क्या लक्षण युक्त व्यक्ति विगत 14 दिनों में किसी कोविड धनात्मक व्यक्ति के संपर्क में आया है (हां अथवा नहीं)	क्या इस व्यक्ति के विषय में तत्काल सुपरवाइजर को सूचना दे दी गई है हां अथवा नहीं
					बुखार	खांसी	सांस लेने में परेशानी	लक्षण प्रकट होने की तिथि				

कार्य दिवस के समाप्ति पर रिपोर्ट

1	आज भ्रमण किए गए कुल आवासों / ऑफिस कंपलेक्सेस की संख्या :
2	आज पाए गए लक्षण युक्त व्यक्तियों की संख्या :
3	ऐसे लक्षण युक्त व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने विगत 14 दिनों में कोई यात्रा की है अथवा जो किसी कोविड धनात्मक व्यक्ति के संपर्क में आये हैं :

हस्ताक्षर:

नाम एवं पदनाम :

प्रपत्र–2

कंटेनमेंट जोन मैपिंग प्रपत्र

जनपद का नाम :

तिथि :

क्रम संख्या	सक्रिय केस का विवरण			कंटेनमेंट जोन का विवरण			कंटेनमेंट जोन में गतिविधि की तिथि	कुल सर्वेक्षित आवासों/कार्यालयों की संख्या	कंटेनमेंट जोन की वर्तमान स्थिति - सक्रिय/विमुक्त
	नाम	पता	मोबाइल नंबर	क्या इस केस का आवास / कार्यालय पूर्व निर्धारित कंटेनमेंट जोन की सीमा के भीतर आता है (हाँ/नहीं)	यदि हाँ तो पूर्व निर्धारित कंटेनमेंट जोन का नाम तथा संख्या यथा कंटेनमेंट जोन 1/2/3 etc ..	यदि नहीं तो नवीन कंटेनमेंट जोन का नाम तथा संख्या			

Summary report	
Total cases in the district	
Total Dischaged	
Total Deaths	
Total Active cases	
Total Containemnt xzones identified	
Total containmentzones- Released from Containment as on the reproting date	
Total containmentzones- Active as on the reproting date	